



2026:AHC:25663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1653 / 2026

मंटू कुमार चौहान

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ व 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रवेश कुमार पांडे, सर्वेश कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : प्रेम नारायण राय, ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. पांडेय तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम नारायण राय को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 04.01.2026 को वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया था और प्रतिवादियों से निर्देश मांगे थे। इसके अनुसरण में निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें 'परिशिष्ट-ए' और 'बी' के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है।
3. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम नारायण राय ने यह बयान दिया है कि वे निर्देशों के साथ पूरी तरह तैयार हैं और इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल करना नहीं चाहते हैं और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।
4. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए पूरी तरह पात्र और योग्य होने के नाते, भारतीय सेना में अग्निवीर (सामान्य इयूटी) के पद के लिए आवेदन किया था। उसे जे.आई.ए. रोल नंबर एलयूसी_यूटीटी_वीएआर_एवीजीडी_2025-120153 और परीक्षा इयूटी रोल नंबर 250241591100007 आवंटित किया गया था। परीक्षा 02.07.2025 को निर्धारित थी। रिट-याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका चयन हो गया था। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उसने अपने चरित्र को प्रमाणित करने वाला एक शपथपत्र भी जमा किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना किसी कारण बताओ नोटिस जारी किए, दिनांक 10.01.2026 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई।
5. उक्त को चुनौती देते हुए, रिट-याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
6. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में पारित किया गया है; यद्यपि आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे लेकिन याचिकाकर्ता जवाब देने में विफल रहा, परंतु आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वे नोटिस किस तारीख को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जारी किए गए थे और उन्हें कब तामील किया गया था। दलील यह है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

7. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री प्रेम नारायण राय ने अपने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि रिट-याचिकाकर्ता को 24.12.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए 01.01.2026 को दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिसों का भी कोई जवाब नहीं दिया, अतः 10.01.2026 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया।

8. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. रिट-याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता रद्द करने वाला दिनांक 10.01.2026 का आक्षेपित आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:—

"दूरभाष: 0542-2506655

ई-मेल: vararo@nic.in

सेना भर्ती कार्यालय, वाराणसी

वाराणसी छावनी

वाराणसी (उ.प्र.) - 221002

1406/आरटीजी/आर2 (0 जनवरी 2026

आरएमडीएस संख्या 30963

मंटू कुमार चौहान सुपुत्र कमलेश चौहान

ग्राम - हसनपुर उर्फ बछईपुर नगर, पोस्ट - हसनपुर उर्फ बछईपुर नगरा

जिला - बलिया, पिन - 221711 (उ.प्र.)"

अभ्यर्थिता का रद्दीकरण

1. रोल नंबर: एलयूसी_यूटीटी_वीएआर_एवीजीडी_2025_120153, नाम: मंटू कुमार चौहान, पिता का नाम: कमलेश चौहान, आर.एम.डी.एस. संख्या: 30963, ग्राम - हसनपुर उर्फ बछईपुर नगर, पोस्ट - हसनपुर उर्फ बछईपुर नगरा, जिला - बलिया, पिन - 221711 (उ.प्र.)।

2. वर्ष 2025-26 की अग्निवीर भर्ती अधिसूचना के अनुसार, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज था। रैली के दौरान आपने इसे प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि मानवीय आधार पर आपको रैली में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। आपको चेतावनी दी गई थी कि यदि आपका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में आता है, तो प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद, आप इसे उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आपकी अभ्यर्थिता एतद्वारा रद्द की जाती है और आपके स्थान पर अग्निवीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

(शैलेश कुमार)

कर्नल

निदेशक भर्ती

10. प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 10.01.2026 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रिट-याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता इस आधार पर रद्द की गई है कि पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उनका जवाब नहीं दिया।

11. महत्वपूर्ण रूप से, यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उस तारीख का कोई उल्लेख नहीं है जिस दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को तामील किया गया था। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश इस महत्वपूर्ण पहलू पर पूरी तरह मौन है, जो मामले की जड़ से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ 16 में जोर देकर कहा है कि उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि श्री प्रेम नारायण राय का तर्क है कि कारण बताओ नोटिस और अंतिम कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तामील कराए गए थे। चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि नोटिस किस तारीख को जारी और तामील किए गए, अतः यह विसंगति मामले की जड़ को प्रभावित करती है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:—

(ए) प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2026, जिसके माध्यम से रिट-याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता रद्द की गई थी, उसे निरस्त किया जाता है।

(बी) चूंकि दिनांक 24.12.2025 का कारण बताओ नोटिस और दिनांक 01.01.2026 का दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस अब याचिकाकर्ता की जानकारी में है क्योंकि ये उस निर्देश का हिस्सा हैं जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिए गए हैं, अतः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 24.12.2025 और 01.01.2026 के नोटिसों का जवाब 20.02.2026 तक देंगे। उक्त जवाब प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक विशिष्ट आदेश पारित करेंगे।

13. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता रद्द करने वाला दिनांक 10.01.2026 का आदेश निरस्त कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को पुनर्बहाली या कार्यभार ग्रहण करने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"